

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक : 19 अप्रैल- 2018,

-: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अप्रैल- 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं० 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1-	पीठ-फैजाबाद	पीठ-फैजाबाद	25.04.18 से 27.04.18	पीठ-1,इलाहाबाद(न्याय0) व पीठ-फैजाबाद(वि0)
2-	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ-मुजफ्फरनगर	23.04.18 से 25.04.18	पीठ-1,नोएडा(न्याय0) व पीठ-मुजफ्फरनगर
3-	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	23.04.18 से 27.04.18	पीठ-गोरखपुर (न्याय0) व पीठ-4वाराणसी(वि0)

ह0-19.04.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0


अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/716/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।